बिहार सरकार विधि विभाग

बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक 2016



बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक 2016

विषय सूची ।

खंड ।

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
- 2. 2016-17 वर्ष के लिये बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 44,61,69,65,000 (चवालीस अरब इकसठ करोड़ उनहत्तर लाख पैंसठ हजार)रूपये मात्र की निकासी।
- 3. विनियोग ।

अनुसूची ।

बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2016

बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2017 की समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग(संख्या-4) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
- (3) यह 01 अप्रील 2016 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
- 2. 2016-17 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 44,61,69,65,000 (चवालीस अरब इकसठ करोड़ उनहत्तर लाख पैंसठ हजार) रूपये की निकासी । बिहार राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रील, 2016 को शुरू होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलिसले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 44,61,69,65,000 (चवालीस अरब इकसठ करोड़ उनहत्तर लाख पैंसठ हजार) रूपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे।
- 3. विनियोग-। इस अधिनियम के अधीन बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशि, 01 अप्रील, 2016 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए, होगी और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची (धाराएं 2 ओर 3 देखें)

	2 2 222		अनिधक राशियां (रूपयों में)		
मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
01	कृषि विभाग	राजस्व	53,40,49,000		53,40,49,000
		पूंजी			
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	37,57,65,000		37,57,65,000
		पूंजी			
03	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	1,30,00,000		1,30,00,000
		पूंजी	58,08,42,000		58,08,42,000
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	2,50,74,000		2,50,74,000
		पूंजी	1,60,00,00,000		1,60,00,00,000
05	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व		3,24,20,000	3,24,20,000
		पूंजी			
06	निर्वाचन विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
07	निगरानी विभाग	राजस्व	39,83,000		39,83,000
		पूंजी			
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	1,000		1,000
		पूंजी			
09	सहकारिता विभाग	राजस्व	24,26,000		24,26,000
		पूंजी			
10	उर्जा विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
12	वित्त विभाग	राजस्व	25,00,000	20,79,81,000	21,04,81,000
		पूंजी			
13	सूद भुगतान	राजस्व		19,35,67,000	19,35,67,000
		पूंजी			
14	ऋण अदायगियाँ	राजस्व			
		पूंजी		8,19,56,000	8,19,56,000
15	पेंशन	राजस्व	10,00,000		10,00,000
		पूंजी			
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व			
		पूंजी			

अनुसूची (धाराएं 2 ओर 3 देखें)

	2 2 112 1 222		अनिधक राशियां (रूपयों में)			
मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग	
1	2	3	4	5	6	
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व				
		पूंजी				
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	8,39,000		8,39,000	
		पूंजी				
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	राजस्व				
		पूंजी				
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	2,34,48,94,000		2,34,48,94,000	
		पूंजी	5,27,95,000		5,27,95,000	
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	15,95,000		15,95,000	
		पूंजी				
22	गृह विभाग	राजस्व	1,12,24,00,000		1,12,24,00,000	
		पूंजी	75,94,45,000		75,94,45,000	
23	उद्योग विभाग	राजस्व	7,06,62,000		7,06,62,000	
		पूंजी				
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व				
		पूंजी				
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	5,00,00,000		5,00,00,000	
		पूंजी				
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	48,01,000		48,01,000	
		पूंजी				
27	विधि विभाग	राजस्व	3,96,05,000		3,96,05,000	
		पूंजी				
28	उच्च न्यायालय	राजस्व		16,21,00,000	16,21,00,000	
		पूंजी				
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व				
		पूंजी				
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	11,01,40,000		11,01,40,000	
		पूंजी				
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	4,00,000		4,00,000	
		पूंजी				
32	विधान मंडल	राजस्व	1,48,80,000		1,48,80,000	
		पूंजी				

अनुसूची (धाराएं 2 ओर 3 देखें)

•	2 2		अनिधक राशियां (रूपयों में)			
मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग	
1	2	3	4	5	6	
33	- सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	1,32,33,38,000	10,00,000	1,32,43,38,000	
		पूंजी				
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व		3,38,33,000	3,38,33,000	
		पूंजी				
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	27,23,60,000		27,23,60,000	
		पूंजी				
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	14,00,00,000		14,00,00,000	
		पूंजी				
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व				
		पूंजी				
38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व	23,75,000		23,75,000	
		पूंजी				
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	11,41,21,30,000		11,41,21,30,000	
		पूंजी				
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	6,98,99,000		6,98,99,000	
		पूंजी				
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	2,12,00,00,000		2,12,00,00,000	
		पूंजी	1,46,00,01,000		1,46,00,01,000	
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	11,85,05,13,000		11,85,05,13,000	
		पूंजी				
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	4,74,42,000		4,74,42,000	
		पूंजी	10,79,23,000		10,79,23,000	
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति	राजस्व	13,08,56,000		13,08,56,000	
	कल्याण विभाग	पूंजी				
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	83,37,31,000		83,37,31,000	
		पूंजी				
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	61,87,18,000		61,87,18,000	
		पूंजी				
47	परिवहन विभाग	राजस्व	4,48,50,000		4,48,50,000	
		पूंजी				
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	2,74,51,85,000		2,74,51,85,000	
		पूंजी				

अनुसूची (धाराएं 2 ओर 3 देखें)

	2 2		अनिधक राशियां (रूपयों में)			
मांग / विनियोग	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व		राज्य की संचित निधि	योग	
संख्या		पूंजी	द्वारा दिए गए अनुदान	पर भारित		
1	2	3	4	5	6	
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व				
		पूंजी	3,01,34,41,000		3,01,34,41,000	
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	2,50,000		2,50,000	
		पूंजी				
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व				
		पूंजी				
योग राज	स्व		36,32,96,61,000	63,09,01,000	36,96,05,62,000	
योग पूं	जी		7,57,44,47,000	8,19,56,000	7,65,64,03,000	
महायोग			43,90,41,08,000	71,28,57,000	44,61,69,65,000	

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य की संचित निधि से कोई राशि भारत-संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं ।

बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2016 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2016 द्वारा स्वीकृत राशि चालू वित्तीय वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पायी गयी है तथा वार्षिक वित्त विवरण में अनुपूरक और अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता भी उत्पन्न हो गयी है । इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान शोधन में आने वाले भारों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से कुल 44,61,69,65,000 (चवालीस अरब इकसठ करोड़ उनहत्तर लाख पैंसठ हजार) रूपये अतिरिक्त राशि का शोधन और विनियोग कराने और इसे प्राधिकृत कराने के लिए इस विधेयक को अधिनियमित कराना ही इसका मुख्य अभीष्ट है ।

(अ**ब्दुल बारी सिद्दिकी**) भार-साधक सदस्य ।

THE BIHAR APPROPRIATION (No-4) BILL, 2016

Α

BILL

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN AMOUNT FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE OF BIHAR FOR THE SERVICES DURING THE YEAR ENDING THE THIRTYFIRST DAY OF MARCH, 2017

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty seventh year of Republic of India as follows:-

- 1. Short title, extent and commencement .- (1)This Act may be called the Bihar Appropriation (No-4) Act,2016.
- (2). It shall extend to the whole of the state of Bihar.
- (3). It shall come intoforce with effect from 1st April 2016.
- 2. Withdrawal of total Rs.- 44,61,69,65,000 (Rs. Forty four arab sixty one crore sixty nine lac and sixty five thousand), out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the year 2016-17.- Total 44,61,69,65,000 (Rs. Forty four arab sixty one crore sixty nine lac and sixty five thousand), which will not be more than the amount mentioned in column 6 of the schedule of this Act may be withdrawn from The Consolidated Fund of The State of Bihar to meet various expenses to be incurred related to the payment during the year commencing from 01 April, 2016 in relation to the services mentioned in column 2 of the Schedule of this Act.
- 3. Appropriation.- The amount authorized for withdrawal from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar under this Act will be for the purposes and services mentioned in the Schedule concerned related to the year commencing from first day of April,2016 and will be appropriated in respect of them.

SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

C===4/A===	Sorvices and nurnesses to which the		Sums not exceeding (In Rupees)			
Grant/App ropriation Number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total	
1	2	3	4	5	6	
01	Agriculture Department	Revenue	53,40,49,000		53,40,49,000	
		Capital				
02	Animal and Fisheries Resource Department		37,57,65,000		37,57,65,000	
		Capital				
03	Building Construction Department	Revenue	1,30,00,000		1,30,00,000	
		Capital	58,08,42,000		58,08,42,000	
04	Cabinet Secretariat Department	Revenue	2,50,74,000		2,50,74,000	
		Capital	1,60,00,00,000		1,60,00,00,000	
05	Secretariat of the Governor	Revenue		3,24,20,000	3,24,20,000	
		Capital				
06	Election Department	Revenue				
		Capital				
07	Vigilance Department	Revenue	39,83,000		39,83,000	
		Capital				
08	Art, Culture and Youth Department	Revenue	1,000		1,000	
		Capital				
09	Co-operative Department	Revenue	24,26,000		24,26,000	
		Capital				
10	Energy Department	Revenue				
		Capital				
11	BC and MBC Welfare Department	Revenue				
		Capital				
12	Finance Department	Revenue	25,00,000	20,79,81,000	21,04,81,000	
		Capital				
13	Interest Payment	Revenue		19,35,67,000	19,35,67,000	
		Capital				
14	Repayment of Loans	Revenue				
		Capital		8,19,56,000	8,19,56,000	
15	Pension	Revenue	10,00,000		10,00,000	
		Capital				
16	Panchayati Raj Department	Revenue				
		Capital				
17	Commercial Tax Department	Revenue				
		Capital				
18	Food and Consumer Protection Department		8,39,000		8,39,000	
4.0		Capital				
19	Environment and Forest Department	Revenue				
		Capital	0.04 10.01.05		0.04.46.0	
20	Health Department	Revenue	2,34,48,94,000		2,34,48,94,000	
0.4		Capital	5,27,95,000		5,27,95,000	
21	Education Department	Revenue	15,95,000		15,95,000	
		Capital				

SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

			Sums not exceeding (In Rupees)			
Grant/App ropriation Number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total	
1	2	3	4	5	6	
22	Home Department	Revenue	1,12,24,00,000		1,12,24,00,000	
		Capital	75,94,45,000		75,94,45,000	
23	Industries Department	Revenue	7,06,62,000		7,06,62,000	
		Capital				
24	Information and Public Relation Department	Revenue				
		Capital				
25	Information Technology Department	Revenue	5,00,00,000		5,00,00,000	
		Capital				
26	Labour Resource Department	Revenue	48,01,000		48,01,000	
		Capital				
27	Law Department	Revenue	3,96,05,000		3,96,05,000	
		Capital				
28	High Court of Bihar	Revenue		16,21,00,000	16,21,00,000	
		Capital				
29	Mines and Geology Department	Revenue				
		Capital				
30	Minorities Welfare Department	Revenue	11,01,40,000		11,01,40,000	
		Capital				
31	Parliamentary Affairs Department	Revenue	4,00,000		4,00,000	
		Capital				
32	Legislature	Revenue	1,48,80,000		1,48,80,000	
		Capital				
33	General Administration Department	Revenue	1,32,33,38,000	10,00,000	1,32,43,38,000	
		Capital				
34	Bihar Public Service Commission	Revenue		3,38,33,000	3,38,33,000	
		Capital				
35	Planning and Development Department	Revenue	27,23,60,000		27,23,60,000	
		Capital				
36	Public Health Engineering Department	Revenue	14,00,00,000		14,00,00,000	
		Capital				
37	Rural Works Department	Revenue				
		Capital				
38	Registration,Excise and Prohibition	Revenue	23,75,000		23,75,000	
	Department	Capital				
39	Disaster Management Department	Revenue	11,41,21,30,000		11,41,21,30,000	
		Capital				
40	Revenue and Land Reforms Department	Revenue	6,98,99,000		6,98,99,000	
		Capital				
41	Road Construction Department	Revenue	2,12,00,00,000		2,12,00,00,000	
		Capital	1,46,00,01,000		1,46,00,01,000	
42	Rural Development Department	Revenue	11,85,05,13,000		11,85,05,13,000	
		Capital				

SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

			Sums not exceeding (In Rupees)			
Grant/App ropriation Number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total	
1	2	3	4	5	6	
43	Science and Technology Department	Revenue	4,74,42,000		4,74,42,000	
		Capital	10,79,23,000		10,79,23,000	
44	SC & ST Welfare Department	Revenue	13,08,56,000		13,08,56,000	
		Capital				
45	Sugar Industries Department	Revenue	83,37,31,000		83,37,31,000	
		Capital				
46	Tourism Department	Revenue	61,87,18,000		61,87,18,000	
		Capital				
47	Transport Department	Revenue	4,48,50,000		4,48,50,000	
		Capital				
48	Urban Development and Housing	Revenue	2,74,51,85,000		2,74,51,85,000	
	Department	Capital				
49	Water Resources Department	Revenue				
		Capital	3,01,34,41,000		3,01,34,41,000	
50	Minor Water Resource Department	Revenue	2,50,000		2,50,000	
		Capital				
51	Social Welfare Department	Revenue				
		Capital				
Total Reve	nue	<u> </u>	36,32,96,61,000	63,09,01,000	36,96,05,62,000	
Total Cap	Total Capital		7,57,44,47,000	8,19,56,000	7,65,64,03,000	
Grand To	Grand Total			71,28,57,000	44,61,69,65,000	